

//आदेश//

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 की कण्डिका 12.2 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्र.-2 में उल्लेखित सहायक शिक्षक कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स.क्र.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती जेबा कुरैशी, सहायक शिक्षक	BI-5702	शा.जवाहर प्राथमिक विद्यालय मिनीपुरा जावरा, जिला रतलाम	23200308705	मंदसौर
2	श्री जगदीश प्रसाद सोनी, सहायक शिक्षक,	BE-3071	शास.प्रा.वि.क्र.-2 महिदपुर जिला उज्जैन	23210600161	इंदौर

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त द शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 की कंडिका-9.17 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।



लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

निरंतर...2...

/2/

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./13/09/3451 भोपाल,दिनांक 07/11/2009  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव,माननीय मुख्यमंत्री जी,मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय-भोपाल।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर एकल नस्ती क्रमांक 1430/मं./स्कू.शि. दि.26.10.09 में प्रदत्त आदेश के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश,भोपाल।
5. कलेक्टर,जिला-रतलाम, मंदसौर, उज्जैन एवं इंदौर म.प्र.।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला-रतलाम, मंदसौर, उज्जैन एवं इंदौर म.प्र.।
7. संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण संभाग- उज्जैन एवं इंदौर मध्यप्रदेश।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-रतलाम, मंदसौर, उज्जैन एवं इंदौर म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
9. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....

.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
आयुक्त

लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

- - लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./14/09/3448

मोपाल,दिनांक 7/11/2009

//आदेश//

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 की कण्डिका 12.2 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्र.-2 में उल्लेखित सहायक शिक्षक कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स.क्र.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री रामसुजान कौरव, सहायक शिक्षक	AR-8623	शा.प्रा.शा.सीतापार जिला नरसिंहपुर	23400616501	मोपाल

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले में लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जॉन्च/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करावे।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 की कंडिका-9.17 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयवधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।



लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

निस्तर 2

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./14/09/3449  
प्रतिलिपि:-

भोपाल,दिनांक 07/11/2009

1. निज सचिव,माननीय मुख्यमंत्री जी,मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय-भोपाल।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर टीप क्रमांक 2713/मं./स्कू.शि. दि. 11.09.09 में प्रदत्त निर्देश के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश,भोपाल।
5. कलेक्टर,जिला-नरसिंहपुर एवं भोपाल म.प्र.।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला- नरसिंहपुर एवं भोपाल म.प्र.।
7. संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण संभाग- जबलपुर एवं भोपाल मध्यप्रदेश।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, नरसिंहपुर एवं भोपाल म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
9. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....

.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।




आयुवत  
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्थापना-3/सी-2/अ.जि.स्था./13/09/3452 भोपाल,दिनांक 7/11/2009

/ आदेश /

संचालनालय द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./13/09/3198-99 भोपाल,दिनांक 22.10.09 की सूची सं.क्रं. 01 के कॉलम-2 में श्री पवित्रा पाराशर,सहा.शि.शा.प्राथ.वि.पाटई जिला गुना से कॉलम-6 में जिला "भोपाल" स्थानांतरण किया गया था। उक्त जारी स्थानांतरण आदेश में संशोधन करते हुये अब कॉलम-2 में " श्री " के स्थान पर " श्रीपती " पवित्रा पाराशर एवं कॉलम-6 में "जिला-भोपाल" के स्थान पर "जिला राजगढ़" पढ़ा जावे। स्थानांतरण आदेश की शेष शर्तें पूर्ववत् लागू रहेंगी।



आयुक्त  
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्थापना-3/सी-2/अ.जि.स्था./13/09/3453 भोपाल,दिनांक 7/11/2009  
प्रतिलिपि:-

- 1/ निज सचिव,मान. मंत्रीजी,स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 2/ कलेक्टर जिला-गुना,भोपाल एवं राजगढ़।
- 3/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत जिला-गुना,भोपाल एवं राजगढ़।
- 4/ संयुक्त संचालक,संभागीय कार्यालय संभाग-ग्वालियर एवं भोपाल।
- 5/ जिला शिक्षा अधिकारी,जिला-गुना,भोपाल एवं राजगढ़।
- 6/ श्रीमती पवित्रा पाराशर,सहायक शिक्षिका, शा.प्राथ.वि.पाटई जिला-गुना।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



आयुक्त  
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश